झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 3437 वर्ष 2016

राकेश नंदन सहाय, पे0 श्री दिनेश नंदन सहाय, निवासी–श्री माँ अपार्टमेंट, पी0एन0 बोस कम्पाउण्ड, लालपुर, डाकघर और थाना–लालपुर, जिला–रांची, वर्तमान में डी0जी0एम0 (एचआर), एनटीपीसी लि0/पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लि0, पतरातू, डाकघर और थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़, झारखण्ड .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची
3. सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची
4. भारत संघ, द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, डाकघर और थाना–केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
5. कैबिनेट सचिव, भारत संघ, दक्षिण ब्लॉक, सचिवालय भवन, नई दिल्ली, भारतीय दक्षिण ब्लॉक, सचिवालय भवन, नई दिल्ली, भारत
6. संघ लोक सेवा आयोग, द्वारा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, सहजन रोड, नई दिल्ली,–110069, डाकघर–यू0पी0एस0सी0, थाना–तिलक मार्ग, जिला–केंद्रीय जिला
7. सुनिल कुमार, पे0 मदन मोहन लाल, तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग, वर्तमान में प्रबंध निदेशक, झारखंड भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरदाता–राज्य के लिएः श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं0 7 के लिएः जितेन्द्र एस0 सिंह, अधिवक्ता

7/27.01.2021 श्री इंद्रजीत सिन्हा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री जितेंद्र एस0 सिंह, प्रतिवादी संख्या 7 के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री अशोक कुमार सिंह, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनके सहमति से इस मामले को सुना गया।

3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी करने के लिए उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 7 ने 10.02.2015 को सुबह लगभग 9:00 बजे प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने आवासी कार्यालय में याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की है जो उस समय हजारीबाग के उपायुक्त थे। श्री सिन्हा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता एन0टी0पी0एस0 के महाप्रबंधक हैं। उन्होनें कहा कि इस तरह के हमले के बावजूद झारखंड सरकार ने प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की है। उन्होनें कहा

कि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने मामले में पूछताछ की और प्रथम दृष्टया रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ थी। उन्होनें कहा कि इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। उन्होनें कहा कि प्रतिवादी–7 के खिलाफ एफ0आई0आर0 भी दर्ज की गई थी जिसमें अंतिम प्रस्तुत कियाा गया है और प्रतिवादी–7 को दोषमुक्त कर दिया गया है। उन्होनें कहा कि याचिकाकर्ता ने विरोध याचिका दायर की है जिसे खारिज कर दिया गया था उसके बाद याचिकाकर्ता पुनरीक्षण में आया है।

5. श्री जितेन्द्र एस0 सिंह, प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 7 और याचिकाकर्ता द्वारा इसके विरूद्ध मामला लाया गया है। वह निवेदन करते हैं कि अब तक प्रतिवादी संख्या 7 का संबंध है अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उस मामले में विरोध याचिका दायर की गई है। उसे भी खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस तरह की बर्खास्तगी के मद्देनजर आगे का उपाय भी किया है। उन्होनें कहा कि जहाँ तक प्रतिवादी–7 के खिलाफ आपराधिक मामले का संबंध है, अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है और में याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले के संबंध में, याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है और उसे विचारण का सामना करना पड़ रहा है।

6. प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विभाग द्वारा निर्णय लिया है कि आपराधिक मामले को देखते हुए, यदि आवश्यक हो, तो आपराधिक मामले के निष्पादन के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, न्यायालय अभिलेख पर मौजूद तथ्यों का परीशिलन किया। यह एक स्वीकार किया गया तथ्य है कि दोनों पक्षों द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता पहले डब्ल्यू0पी0 (क्रि0) सं0 168/2015 में इस न्यायालय के समक्ष आया जिसे कानून के अनुसार विरोध याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता के साथ निष्पादित किया गया था। उस माममले में अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है और याचिकाकर्ता ने शिकायत पर विरोध भी दर्ज किया है जिसे खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता ने उक्त अस्वीकृति आदेश को चुनौती देने के लिए कानून के तहत उपलब्ध उपाय पहले ही ले लिया है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दायर मामले में याचिकाकर्ता को अंतिम प्रपत्र के मद्देनजर पहले ही मुकदमें में विचारण का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा एक निर्देश की मांग कर रहा है। तथ्य के विवादित प्रश्न के मद्देनजर और उपाय पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता पहले ही आपराधिक कार्यवाही के लिए सहारा ले चुका है और प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ आरोप अवैध पाया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर एक आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जा रहा है जो लंबित है, न्यायालय ऐसे आधार पर विभागीय कार्यवाही

शुरू करने के निर्देश के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।

8. रिट याचिका खारिज हो गई।

. (संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)